

श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग

कमरा सं. 409, "ए" विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

अपील सं. 22/एस(आरवाई)/आईसी/ आरटीआई/2016

के मामले में:

श्री नन्द किशोर,

निवासी-211, हण्डिया मौहल्ला,

लालकुर्ती, मेरठ कैंट(उ.प्र.)

.....अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,

विधि और न्याय मंत्रालय,

विधि कार्य विभाग.

शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

.....प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक: 5.10.2016

श्री नन्द किशोर (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपने दिनांक 16.6.2016 के आवेदन-पत्र (इस विभाग में दिनांक 24.6.2016 को प्राप्त) के तहत अपनी याचिका, दिनांक शून्य पर की गई कार्रवाई की सूचना मांगी थी।

2. पी.जी. अनुभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनकी दिनांक "शून्य" की एक याचिका को उनके द्वारा उनके दिनांक 14.8.2015 के पत्र के द्वारा रक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया था जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई थी और उसमें अपीलार्थी से अनुरोध किया गया था कि आगे की जानकारी रक्षा मंत्रालय से ही प्राप्त करें। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके उपरोक्त सूचना के अधिकार आवेदन-पत्र को भी रक्षा मंत्रालय को दिनांक 6.7.2016 के पत्र द्वारा इस अनुरोध के साथ हस्तांतरित किया गया कि उनकी उपरोक्त याचिका पर की गई कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराया जाए तथा इसकी एक प्रतिलिपि प्रार्थी को भी प्रेषित की गई थी।

3. प्रार्थी की दिनांक शून्य की याचिका को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रार्थी रक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी दिनांक 8.4.2015 की याचिका पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाहते हैं, जो विभाग की कार्यपरिधि में नहीं आता। अतः मैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनकी सूचना का अधिकार याचिका पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

4. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है।

र० या०
(रामायण यादव)

अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
दूरभाष सं. 23384204

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री नन्द किशोर, निवासी-211, हण्डिया मौहल्ला, लालकुर्ती, मेरठ कैन्ट, उ.प्र.
2. श्री के. गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

✓
5/1/16